



Utkarsh Small Finance Bank

Aapki Ummeed Ka Khaata

(A Scheduled Commercial Bank)

TERM DEPOSIT FORM

FOR INDIVIDUAL & NON-INDIVIDUAL EXISTING CUSTOMER

(PLEASE FILL THE FORM IN BLOCK LETTERS ONLY)

FIELDS MARKED* ARE MANDATORY.

Date : DDMMYY

A/c No. : XXXXXXXXXX

A/c. to be opened at:

खाता यहाँ खोला जाना चाहिए:

Branch Name शाखा का नाम

Branch Code शाखा कोड

Sourcing Branch Name* सोर्सिंग शाखा का नाम*

Sourcing Branch Code* सोर्सिंग शाखा का कोड*

Type of A/c*: Single, Joint, Fixed Deposit, FD Plus, TD Plus, Tax Saver FD, Recurring Deposit, Others

A/c Sub-type*: Normal, Sr. Citizen, Staff, Bulk, Scheme Code

A) PERSONAL DETAILS*

Primary Holder, Joint Holder 1, Joint Holder 2, Joint Holder 3 details including PAN Number and Form 60

B) MODE OF OPERATION*: Self, Either or survivor, Anyone or survivor, Jointly, Karta, Others

C) DEPOSIT/STANDING INSTRUCTIONS*: Deposit/Installment Amount, RD SI Date, Rate of Interest, Auto renewal, Maturity Instruction, Interest Payout, TDS Details

Note: 1) Interest payment is subject to RBI guidelines from time to time. 2) Please refer the latest interest rate chart at the branch or visit www.utkarsh.bank. 3) Interest payment is subject to tax deduction at source.

D) INITIAL PAYMENT DETAILS*

Mode of Payment*: Cheque, Direct Debit from own USFB A/C, NEFT/RTGS (from own A/C with other bank)

Account No. & Name*

*Other own bank a/c in case of NEFT/RTGS

Account No./ खाता सं.

Name / नाम

खाता संख्या और नाम*

*एनईएफटी/आरटीजीएस के मामले में अन्य बैंकों में स्वयं के खाते

RTGS/NEFT UTR No.*

आरटीजीएस/एनईएफटी यूटीआर नंबर*



Applicant(s) Signature only for Direct Debit from own A/c

केवल अपने स्वयं के खाते से प्रत्यक्ष डेबिट के लिए आवेदक (को) के हस्ताक्षर

Date of Transaction*

In case of Cash/NEFT/RTGS/Direct debit

लेन-देन की तारीख*

कैश/एनईएफटी/आरटीजीएस/प्रत्यक्ष डेबिट के मामले में

DDMMYY

Value Date

मूल्यन दिनांक

DDMMYY

E) REPAYMENT DETAILS* Please Credit FD/RD maturity in:

पुनर्भुगतान विवरण* कृपया एफडी/आरडी परिपक्वता को इसमें क्रेडिट करें:

1. Account No.

(With USFB)

खाता सं.

(यूएसएफबी के साथ)

2. Through DD

डीडी के माध्यम से

In case the maturity/ Interest payout opted through Demand Draft,

it will be delivered to registered mailing address of primary holder.

यदि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से परिपक्वता/व्याज भुगतान का विकल्प चुना जाता है,

तो इसे प्राथमिक धारक के पंजीकृत पता पर दिया जाएगा।

3. Account with other bank:

(copy of passbook/cancelled cheque should be enclosed)

अन्य बैंकों में खाता:

(पासबुक/रद्द चेक की प्रति संलग्न की जानी चाहिए)

Account Name

खाता नाम

IFSC

आईएफएससी

Bank Name

बैंक का नाम

Branch Name

शाखा का नाम

F) NOMINATION DETAILS (FORM DA1)*

नामांकन विवरण (फॉर्म डीए 1)*

(Nomination applicable for Individuals only and one Individual nominee is permitted.)

(नामांकन केवल व्यक्तियों के लिए लागू है और एक व्यक्तिगत नामित की अनुमति है।)

Yes, I/We wish to nominate (as per detail below)

हां, मैं / हम नामांकित करना चाहते हैं (नीचे दिए गए विवरण के अनुसार)

No, I/We have been explained about the benefits of the nomination facility. However,

I would like to inform you that I do not wish to provide nomination for account.

नहीं, मुझे /हमें नामांकन सुविधा के लाभों के बारे में समझाया गया है।

तथापि, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि मैं खाते के लिए नामांकन प्रदान नहीं करना चाहता हूँ।

Nomination under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2(1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of bank deposits.

बैंक जमा राशियों के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडए और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम 1985 के नियम 2 (1) के तहत नामांकन।

I / We (Name)

(Address)

nominate the following person to whom in the event of my / our / minor's death the amount of deposit in the above account, may be returned by UTKARSH SMALL FINANCE BANK.

मैं / हम (नाम)

(पता)

निम्नलिखित व्यक्ति को नामित करें जिसे मेरी / हमारी / अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में उपर्युक्त खाते में जमा राशि, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक द्वारा वापस की जा सकती है।

Nominee Name

नामिती का नाम

Address : Please if same as primary applicant

पता: कृपया करें यदि प्राथमिक आवेदक के समान है

If different from primary applicant

यदि प्राथमिक आवेदक से अलग है

Relationship with depositor, if any

जमाकर्ता के साथ संबंध, यदि कोई हो

Age Years

उम्र साल

If nominee is a minor, his / her date of birth:

यदि नामिती अवयस्क है, तो उसकी जन्म तिथि:

DDMMYY

^ If the nominee is a minor on this date, I / We appoint (Name)

, Relationship with the minor

and Address :

to receive the amount of the deposit on behalf of the nominee in the event of my / our / minor's death during the minority of the nominee.

^ यदि नामिती इस तारीख को अवयस्क है, तो मैं / हम नियुक्त करते हैं (नाम)

, अवयस्क के साथ संबंध

और पता:

मेरी / हमारी / अवयस्कता के दौरान अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में नामिती की ओर से जमा राशि प्राप्त करने के लिए।

Witness 1

गवाह 1

Place

स्थान

Date

दिनांक

Name

नाम

Signature

हस्ताक्षर

Address/ पता

Witness 2

गवाह 2

Place

स्थान

Date

दिनांक

Name

नाम

Signature

हस्ताक्षर

Address/ पता

** Name & Signature of primary holder

** प्राथमिक धारक का नाम और हस्ताक्षर

Address / पता

Signature of Joint holder 1

(Wherever applicable)

संयुक्त धारक के हस्ताक्षर 1

(जहां भी लागू हो)

Signature of Joint holder 2

(Wherever applicable)

संयुक्त धारक के हस्ताक्षर 2

(जहां भी लागू हो)

Signature of Joint holder 3

(Wherever applicable)

संयुक्त धारक के हस्ताक्षर 3

(जहां भी लागू हो)

^ Applicable only if nominee is a minor. ** Where deposit is made in the name of a minor the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

^ केवल तभी लागू होता है जब नामिती अवयस्क हो. ** जहां अवयस्क के नाम पर जमा किया जाता है, नामांकन को अवयस्क की ओर से करवा करने के लिए कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

TERMS & CONDITIONS/ नियम एवं शर्तें

"Term deposit" means an interest bearing deposit received by the Bank for a fixed period and shall also include deposits such as Recurring/ Cumulative/ Annuity/ Reinvestment deposits and Cash Certificates. The payment of the maturity of the proceeds will usually be made by credit to the account of the deposit holder or by Demand Draft at the option of the term deposit holder(s). Minimum tenor of the deposit offered is seven days. The payout of interest on Term Deposits under Monthly Interest Certificate scheme, takes place at a discounted rate as prescribed under the IBA guidelines. The payout of interest for Quarterly Interest Certificate is applied on Simple Interest basis. Also for Term Deposits with tenure below 181 days, interest will be calculated on maturity at simple interest. In case of Monthly & Quarterly interest pay-out option, interest credit in the account will be done at Anniversary Month/Quarter (from the Effective Date of opening)

"सावधि जमा" का अर्थ है एक निश्चित अवधि के लिए बैंक द्वारा प्राप्त किया जाने वाला ब्याज वहन करने वाला जमा और इसमें आवर्ती / संचयी / वार्षिकी / पुनर्निवेश जमा और नकद प्रमाण पत्र जैसी जमाएं भी शामिल होंगी। आय की परिपक्वता का भुगतान आमतौर पर जमा धारक के खाते में क्रेडिट द्वारा या सावधि जमा धारक(कों) द्वारा चयन किए गए विकल्प के आधार पर डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। दी गई जमा राशि की न्यूनतम अवधि सात दिन होती है। मासिक ब्याज प्रमाणपत्र योजना के अंतर्गत सावधि जमाधारियों पर ब्याज का भुगतान आईबीए दिशानिर्देशों के अंतर्गत तथा निर्धारित रियायती दर पर किया जाता है। तिमाही ब्याज प्रमाण पत्र के लिए ब्याज का भुगतान साधारण ब्याज के आधार पर लागू किया जाता है। इसके अलावा 181 दिनों से कम अवधि वाली सावधि जमा के लिए, ब्याज का परिकलन साधारण ब्याज पर परिपक्वता पर किया जाएगा। मासिक और त्रैमासिक ब्याज भुगतान विकल्प के मामले में, खाते में ब्याज क्रेडिट वर्षगांठ महीने / तिमाही (खोलने की प्रभावी तारीख से) पर किया जाएगा।

Premature Encashment/ समय से पहले नकदीकरण:

a) Term deposit booked under "Premature withdrawal not allowed" option cannot be withdrawn till maturity.

"समय पूर्व निकासी की अनुमति नहीं" विकल्प के तहत बुक की गई सावधि जमा को परिपक्वता तक वापस नहीं लिया जा सकता है।

b) Premature Withdrawal is not allowed for Non-Callable Deposit before maturity for any whatsoever. However, the bank may allow premature withdrawal of these deposits in following exceptional circumstances: in the event of any direction from any statutory and/or regulatory authority or deceased claim settlement cases.

बैंक किसी भी परिस्थिति में परिपक्वता से पहले गैर-प्रतिदेय जमा के लिए समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं देता है। हालांकि, बैंक निम्नलिखित असाधारण परिस्थितियों में इन जमाओं की समय पूर्व निकासी की अनुमति दे सकता है: किसी भी वैधानिक और / या नियामक प्राधिकरण से कोई भी निर्देश प्राप्त होने पर या मृतक व्यक्ति के दावों का निपटारा करने के मामलों में।

c) In case the term deposit is closed prematurely, before completion of the minimum period of 7 days, no interest shall be paid for the said term deposit.

यदि सावधि जमा समय से पहले, 7 दिनों की न्यूनतम अवधि पूरी होने से पहले बंद हो जाता है, तो उक्त सावधि जमा के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

d) The deposits of the Bank are insured with DICGC and in case of liquidation of the Bank, DICGC is liable to pay each depositor through the liquidator, the amount of his/her deposit upto ₹5 lakh within 2 months from the date of claim list from the liquidator.

बैंक की जमाधारियों का डीआईसीजीसी के साथ बीमा किया जाता है और बैंक के परिसमापन के मामले में डीआईसीजीसी परिसमापक के माध्यम से दावा सूची प्राप्त होने की तारीख से 2 महीने के भीतर प्रत्येक जमाकर्ता को उसकी 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

e) In the event of the death of one of the depositor, premature termination and payment of Term Deposits held in 'Either or Survivor' or 'Former or Survivor' or 'Any one or Survivor' basis shall be allowed to survivor/s. Such payment to survivor/s shall give valid discharge to the Bank. Such premature withdrawal shall not attract any penal charge. However, the interest rate shall be the rate applicable for the period the deposit has remained with the Bank or the contracted rate, whichever is lower.

जमाकर्ताओं में से किसी एक की मृत्यु की स्थिति में, 'दोनों में से कोई या उत्तरजीवी' या 'पूर्व या उत्तरजीवी' या 'कोई एक या उत्तरजीवी' आधार पर रखी गई सावधि जमाओं की समयपूर्व समाप्ति और भुगतान की अनुमति उत्तरजीवी/उत्तरजीवियों को दी जाएगी। उत्तरजीवी/उत्तरजीवियों को ऐसा भुगतान करने पर बैंक वैध रूप से अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। इस तरह की समय पूर्व निकासी पर कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, जब जमा बैंक के पास रही है उस अवधि के लिए ब्याज दर या अनुबंधित दर, जो भी कम हो, लागू होगी।

f) In case the mode of operation is 'Either or survivor' or 'Former or Survivor' or 'Anyone or Survivor', in the event of the death of one of the deposit holder, premature withdrawal is required by the survivor: In the event of the death of either one of us, the survivor, if he/she so request the Bank, to prematurely withdraw the said deposit without seeking the concurrence of the legal heirs of the deceased joint deposit holder, the Bank is entitled to honour the same.

यदि संचालन का तरीका 'दोनों में से कोई या उत्तरजीवी' या 'पूर्व या उत्तरजीवी' या 'कोई एक या उत्तरजीवी' है, तो जमा धारक में से किसी एक की मृत्यु की स्थिति में, उत्तरजीवी द्वारा समय से पहले निकासी की आवश्यकता होती है: हम में से किसी एक की मृत्यु की स्थिति में, यदि उत्तरजीवी बैंक से मृत संयुक्त जमा धारक के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना उक्त जमा राशि को समय से पहले वापस लेने के लिए अनुरोध करता है, तो बैंक इस अनुरोध का सम्मान करने का हकदार है।

We further affirm that payment of the proceeds of such deposit to the survivor represents a valid discharge of the Bank's liability provided. (i) There is no order from a competent court restraining the Bank from making the payment from the said account. (ii) That the survivor would be receiving the payment from the Bank as a trustee of the legal heirs of the deceased depositor and that such payment to him/her shall not affect the right or claim that any person/s may have against the survivor to whom the payment is made.

हम आगे पुष्टि करते हैं कि उत्तरजीवी को ऐसी जमा राशि की प्राप्ति का भुगतान, बैंक की देयता वैध रूप से पूरी किए जाने का प्रतिनिधित्व करता है, बशर्तें (i) सक्षम न्यायालय से ऐसा कोई आदेश नहीं है जो बैंक को उक्त खाते से भुगतान करने से रोकता हो। (ii) उत्तरजीवी को बैंक से मृतक जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों के न्यायी के रूप में भुगतान प्राप्त होगा और उसे ऐसा भुगतान उस अधिकार या दावे को प्रभावित नहीं करेगा जो किसी व्यक्ति का उस उत्तरजीवी के विरुद्ध हो सकता है जिसे भुगतान किया गया है।

g) Where the deposit is held singly and premature withdrawal is required by the nominee in the event of death of the deposit holder. (i) In the event of my death, the nominee named for the deposit is entitled to prematurely withdraw the said deposit, if he/she so requests the Bank, without seeking the concurrence of my legal heirs. I further affirm that payment of the proceeds of such deposit to the nominee represents a valid discharge of the Bank's liability (ii) That the nominee would be receiving the payment from the Bank as a trustee of the legal heirs of the deceased depositor and that such payment to him/her shall not affect the right or claim that my legal heirs may have against the nominee to whom the payment is made.

जहां जमा राशि अकेले रखी जाती है और जमा धारक की मृत्यु की स्थिति में नामितों द्वारा परिपक्वता से पहले निकासी की आवश्यकता होती है। (i) मेरी मृत्यु की स्थिति में, जमा राशि के लिए नामितों यदि मेरे कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना, बैंक से निकासी अनुरोध करता है, तो वह समय से पहले उक्त जमा राशि वापस लेने का हकदार है। मैं आगे पुष्टि करता हूँ कि नामितों को ऐसी जमा राशि की प्राप्ति का भुगतान बैंक की देयता के वैध निर्वहन का प्रतिनिधित्व करता है (ii) कि नामितों मृत जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों के दूटरी के रूप में बैंक से भुगतान प्राप्त करेगा और उसे ऐसा भुगतान उस अधिकार या दावे को प्रभावित नहीं करेगा जो मेरे कानूनी उत्तराधिकारियों के पास उस नामितों के खिलाफ हो सकता है जिसे भुगतान किया गया है।

h) All encashment or withdrawals of Term Deposit with repayment instruction as direct credit to the linked account can be executed at any Utkarsh Small Finance Bank branch.

लिंक्ड खाते में प्रत्येक क्रेडिट के रूप में पुनर्भुगतान निर्देश के साथ सावधि जमा के सभी नकदीकरण या निकासी किसी भी उत्कर्ष लघु वित्त बैंक शाखा में निष्पादित की जा सकती है।

i) An overdue term deposit or its portion may be renewed from the date of Maturity, provided the overdue period from the date of maturity till the date of renewal does not exceed 14 days. The rate of interest payable on the amount of the deposit so renewed shall be the appropriate rate of interest for the period of renewal as prevailing on the date of maturity. If the overdue period is more than 14 days and if the depositor places the entire amount of overdue deposit or at least the principal amount of deposit as a fresh term deposit, interest may be paid for the overdue period on the amount so placed as a fresh deposit at the rate decided by the Bank.

अतिदेय सावधि जमा या उसके हिस्से को परिपक्वता की तारीख से नवीनीकृत किया जा सकता है, बशर्तें परिपक्वता की तारीख से नवीकरण की तारीख तक अतिदेय अवधि 14 दिनों से अधिक न हो। इस प्रकार नवीनीकृत जमा राशि पर देय ब्याज की दर परिपक्वता की तारीख के प्रभावित नवीकरण की अवधि के लिए ब्याज की उपयुक्त दर होगी। यदि अतिदेय अवधि 14 दिनों से अधिक है और यदि जमाकर्ता अतिदेय जमा की पूरी राशि या कम से कम जमा की मूल राशि को नई सावधि जमा के रूप में रखता है, तो बैंक द्वारा तय की गई दर पर नई जमा के रूप में रखी गई राशि पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जा सकता है।

j) The pre-mature withdrawal of deposit(s) will require consent and signature of all the depositor(s) irrespective of mode of operations (if all depositors are alive).

जमा (ओं) की समय पूर्व निकासी के लिए सभी जमाकर्ताओं की सहमति और हस्ताक्षर (यदि सभी जमाकर्ता जीवित हैं) की आवश्यकता होगी, चाहे संचालन का तरीका कुछ भी हो।

k) I/we have been informed about the applicable penal interest rate for premature withdrawal.

मुझे समय पूर्व निकासी के लिए लागू दंडात्मक ब्याज दर के बारे में सूचित किया गया है।

l) Premature withdrawal of deposit will attract 1% Penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank or 1% less than the contracted rate whichever is lower.

जमा की समय पूर्व निकासी पर 1% जुर्माना लगाया जाएगा यानी जिस अवधि के लिए जमा बैंक के पास रहा है उसके लिए जमा की तारीख को कार्ड दर से 1% कम, या अनुबंधित दर से 1% कम, जो भी कम हो।

m) The calculation of interest is basis 365 days in a year for the deposit booked in a non-leap year and 366 days in a year for a deposit booked in a leap year.

ब्याज का परिकलन एक गैर-लीप वर्ष में बुक किए गए जमा के लिए एक वर्ष में 365 दिनों और लीप वर्ष में बुक किए गए जमा के लिए एक वर्ष में 366 दिनों के आधार पर किया जाता है।

n) Non-Callable FDs cannot be withdrawn before the maturity period. This means these deposits are completely locked and individuals or depositors do not have any authority to call or withdraw their FD investments before maturity.

गैर-प्रतिदेय एफडी को परिपक्वता अवधि से पहले वापस नहीं लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये जमा पूरी तरह से लॉक हैं और व्यक्तियों या जमाकर्ताओं के पास परिपक्वता से पहले अपने एफडी निवेश को कॉल करने या वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। और ब्याज के बिना 'स्रोत पर कर कटौती' (टीडीएस) शामिल है।

Tax deduction at source/ स्रोत पर कर कटौती

a) In case of renewed deposits, the new deposit amount consists of the original deposit amount plus interest less Tax Deducted at Source (TDS) if any, less compounding effect of TDS. For reinvestment deposit, the interest reinvested is post TDS recovery and hence the maturity amount for reinvestment deposits would vary to the extent of tax and compounding effect on tax for the original subsequent to deduction till maturity. If Deposit is opened under Monthly/Quarterly Interest Payment Mode, then the renewed deposit shall not comprise of the interest part.

नवीनीकृत जमाधारियों के मामले में, मूल जमा राशि और स्रोत पर ब्याज शामिल होता है लेकिन इसमें नई जमा राशि में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), यदि कोई हो और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के चक्रवृद्धि प्रभाव को शामिल नहीं किया जाता है। पुनर्निवेश जमा के लिए, पुनर्निवेशित किए जाने वाला ब्याज में से टीडीएस वसूली को घटाया जाता है और इसलिए पुनर्निवेश जमाओं के लिए परिपक्वता राशि का परिकलन परिपक्वता तक कटौती के बाद की अवधि के लिए कर और कर पर चक्रवृद्धि प्रभाव की सीमा को घटाकर किया जाता है। यदि जमा मासिक / त्रैमासिक ब्याज भुगतान मोड के तहत खोला जाता है, तो नवीनीकृत जमा में ब्याज का हिस्सा शामिल नहीं होगा।

b) No deduction of tax shall be made for taxable interest in the case of individual resident in India, if such individual furnishes to the Bank, a declaration in writing in the prescribed form 15G/15H (as applicable, with PAN CARD details) to the effect that the tax on his/ her estimated total income for the year in which such interest income is to be included in computing his/ her total income will be NIL. TDS rates will be as applicable from time to time as per the Income Tax Act, 1961 and Income Tax rules (which are subject to change as per directives of Ministry of Finance, Govt. of India). If TDS is not to be deducted, please submit Income Tax Exemption letter along with this Form.

भारत में व्यक्तिगत निवासी के मामले में कर योग्य ब्याज के लिए कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति बैंक को निर्धारित फॉर्म 15 जी / 15 एच (जैसा कि लागू हो, पैन कार्ड विवरण के साथ) में लिखित में एक घोषणा प्रस्तुत करता है कि उस वर्ष के लिए उसकी अनुमानित कुल आय पर कर शुल्क होगा जिसमें ऐसी ब्याज आय को उसकी कुल आय के परिकलन में शामिल किया जाना है। टीडीएस दरें आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर नियमों (जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं) के अनुसार समय-समय पर लागू होंगी। यदि टीडीएस नहीं काटा जाना है, तो कृपया इस फॉर्म के साथ आयकर सूत्र पत्र जमा करें।

c) Form 15G/H is required to be submitted separately for each financial year.

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए फॉर्म 15 जी / एच अलग से जमा करना आवश्यक है।

d) The Bank shall not be liable for any consequences or loss arising due to delay or non-submission of form 15G/15H.

बैंक, फॉर्म 15 जी / 15 एच के विलंब से जमा होने या गैर-जमा होने के कारण उत्पन्न किसी भी परिणाम या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

e) As per section 139A(5A) of the income Tax Act, every person receiving any sum of income or amount from which tax has been deducted under the provision of income tax act shall provide his/ her PAN number to the person responsible for deducting such tax. In case the PAN number is not provided the Bank shall not be liable for the non availment of the credit of tax deducted at source.

आयकर अधिनियम की धारा 139 ए (5 ए) के अनुसार, आयकर अधिनियम के प्रावधान के तहत आय की ऐसी कोई भी राशि जिसमें से कर काटा गया है, प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, इस तरह की कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अपना पैन नंबर प्रदान करेगा। यदि पैन नंबर प्रदान नहीं किया जाता है तो बैंक स्रोत पर काटे गए कर के क्रेडिट का लाभ नहीं मिलने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

- f) PAN is required to be submitted to the Bank for Fixed deposit of ₹50,000/- or more.
₹50,000/- या उससे अधिक की सावधि जमा के लिए बैंक को पैन जमा करना आवश्यक है।
- g) PAN is required to be submitted to the Bank at a time of Term Deposit of amount exceeding ₹50,000 or once and/or the aggregate Term Deposit amount (including accrued interest) in a financial year exceeds ₹5,00,000/- with the Bank. In case, the PAN number is not provided to the Bank, the Bank shall not be liable for the non-availability of credit of Tax deducted at source and non-issuance of TDS certificate
₹50,000/- से अधिक की सावधि जमा के समय या एक बार और/या किसी वित्तीय वर्ष में कुल सावधि जमा राशि (अर्जित ब्याज सहित) बैंक के पास ₹5,00,000/- से अधिक हो जाती है तो पैन बैंक में जमा करना आवश्यक है। यदि बैंक को पैन संख्या प्रदान नहीं की जाती है, तो स्रोत पर काटे गए कर का क्रेडिट ग्राहक को प्राप्त नहीं होने और टीडीएस प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
- h) As per section 206 AA introduced by Finance (no.2) Act. 2009 w.e.f. 01.04.2010, every person who receive income on which TDS is deductible shall furnish his/her PAN falling which TDS shall be deducted as at the rate of 20% in case of domestic deposits "Please further note that the absence of PAN, form 15G/15H and other exemption certificate will be invalid even if submitted & penal TDS will be applicable."
वित्त (सं.2) अधिनियम, 2009 द्वारा दिनांक 01.04.2010 से शुरू की गई धारा 206 एए के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर टीडीएस कटौती योग्य है, उसे अपना पैन प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर धरलू जमाओं के मामले में 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। कृपया आगे ध्यान दें कि पैन की अनुपस्थिति में, फॉर्म 15जी और अन्य छूट प्रमाण पत्र अमान्य होंगे, भले ही वे जमा किया गए हों और दंडात्मक टीडीएस लागू होगा।
- i) The above terms and conditions are subject to change as per regulatory guidelines issued from time to time.
उपर्युक्त निबंधन और शर्तें समय-समय पर जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।
- j) A new section 206AB introduced in the Finance Bill, 2021 w.e.f. 01.07.2021 for deduction of tax at source at higher rates i.e 20% (for interest on deposit where prevailing TDS rate is 10%) if an amount is paid or payable to the specified person who did not file the income tax return for respective year as mentioned in said section.
01.07.2021 से वित्त विधेयक, 2021 में एक नई धारा 206बी पेश की गई है जिसके अनुसार यदि उक्त धारा में उल्लिखित संबंधित वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले निर्दिष्ट व्यक्ति को राशि का भुगतान किया जाता है या देय है तो उच्च दरों अर्थात् 20% (जमा पर ब्याज के लिए जहां प्रचलित टीडीएस दर 10% है) पर स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।
- k) The extant TDS law requires tax to be deducted in case the projected interest exceeds threshold limit (₹50,000/- for senior citizens and ₹40,000/- for others). This threshold limit is to be calculated at the time of payment/credit of interest. Subsequently, in case the total interest falls below the threshold limit due to premature withdrawal of one or more FDs, the TDS deducted on earlier occasions will not be refunded. The deposit holder can claim the credit for TDS while filing his/her income tax return.
वर्तमान टीडीएस कानून में अनुमानित ब्याज सीमा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000/- और अन्य के लिए ₹40,000/-) से अधिक होने की स्थिति में कर कटौती की आवश्यकता होती है। इस सीमा की गणना ब्याज के भुगतान/क्रेडिट के समय की जानी होती है। इसके बाद, यदि एक या एक से अधिक सावधि जमा की समय पूर्व निकासी के कारण कुल ब्याज सीमा से नीचे चला जाता है, तो पहले के अवसरों पर काटा गया टीडीएस वापस नहीं किया जाएगा। जमा धारक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय टीडीएस के लिए क्रेडिट का दावा कर सकता है।

Bank reserves the right to make any changes in terms and conditions mentioned & same will be updated in Banks website www.utkarsh.bank.


बैंक उल्लिखित नियमों एवं शर्तों में कोई भी बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसे बैंक की वेबसाइट www.utkarsh.bank में अपडेट किया जाएगा।

G) DECLARATION / घोषणा :

I/We have read and understood the Terms and Conditions (mentioned overleaf) governing the opening of an account with UTKARSH SMALL FINANCE BANK and those relating to various services. I/We accept and agree to abide by the same, including those excluding/limiting the Bank's liability. I/We understand that the Bank may, at its absolute discretion, discontinue any of the services completely or partially after giving prior notice, I/We agree with the same.

मैं/हमने उत्कर्ष लघु वित्त बैंक में खाता खोलने और विभिन्न सेवाओं से संबंधित नियमों एवं शर्तों (पीछे की ओर उल्लेख किए गए) को पढ़ा और समझा है। मैं/हम इन शर्तों, जिनमें बैंक की देयता को देयता से मुक्त करने वाली या बैंक की देयता को सीमित करने वाली शर्तें भी शामिल हैं, को स्वीकार करते हैं और इनका पालन करने के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। मैं/हम समझते हैं कि बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर पूर्व सूचना देने के बाद किसी भी सेवा को पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद कर सकता है, हम इससे सहमति व्यक्त करते हैं।


Signature/ हस्ताक्षर 1


Signature/ हस्ताक्षर 2


Signature/ हस्ताक्षर 3


Signature/ हस्ताक्षर 4

(Branch need to verify the Customer Signature, Mode of Operation & put Signature Verification Stamp above)
(शाखा को ग्राहक के हस्ताक्षर, संचालन के तरीके को सत्यापित करने और वहां हस्ताक्षर करके सत्यापन मुहर लगाने की आवश्यकता है)


DECLARATION BY THE BRANCH / शाखा द्वारा घोषणा

I hereby certify that this account opening form is complete in all respects and relevant documents have been obtained and verified. The Account may please be set up in CBS.

मैं एतद्वारा द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि इस खाते खोलने के फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध है और प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त किए गए और सत्यापित किए गए हैं। कृपया सीबीएस में खाता बनाया जाए।

Lead Generator Code
लीड जनरेटर कोड

Lead Converter Code
लीड कन्वर्टर कोड


Branch Head / Authorised Signatory
शाखा प्रमुख/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

EIN _____
ईआईएन

Value Date :
मूल्यन दिनांक: DDMMYY

Branch Stamp
शाखा का स्टाम्प

CUSTOMER ACKNOWLEDGEMENT/ ग्राहक की पावती

Type of A/c*: Single Joint | Fixed Deposit FD Plus TD Plus Tax Saver FD RD Others
खाते का प्रकार*: एकल संयुक्त | सावधि जमा एफडी प्लस (नॉन-कॉलैबल) टीडी प्लस (नॉन-कॉलैबल) टैक्स सेवर एफडी आरडी अन्य (pls. specify/कृपया निर्दिष्ट करें)

Ref No.
संदर्भ सं.
Please quote this reference no. for any future communication
कृपया भविष्य के किसी भी संचार के लिए इस संदर्भ संख्या को उद्धृत करें

Date:
दिनांक: DDMMYY

Nomination taken : Yes No
नामांकन लिया गया: हाँ नहीं

Signature of Bank Official
along with Branch Stamp

शाखा स्टाम्प के साथ बैंक
अधिकारी के हस्ताक्षर